न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः–   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–   01/2023

स्टेट जरिये श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–ःबनामः–

राजकुमार कामरा पुत्र रामलाल कामरा (विक्रेता)
मैसर्सः–श्री राम डेयरी, अम्बेडकर चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन,
जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–मकान नं. 43, सेक्टर नं. 12, अम्बेडकर चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन,
जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद रफीक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री सुखदेव सिंह सिद्धु, अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित।

–ःनिर्णयः–

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

दिनांक :–**29.05.2024**

प्रार्थी श्री जीतसिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव दिनांक 14.04.2022 को प्रातः 09.00 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः–श्री राम डेयरी, अम्बेडकर चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर राजकुमार कामरा पुत्र रामलाल कामरा (विक्रेता) निवासीः–मकान नं. 43, सेक्टर नं. 12, अम्बेडकर चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास बड़े एल्यूमिनियम भगोने में तैयारशुदा Butter करीब 50 किलोग्राम आमजन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर 800 ग्राम Butter खाली साफ सूखे जग में संग्रहित कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Butter के खरीद मूल का 320/–रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Butter 800 ग्राम को 04 बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और 04 लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके–2198 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी [illegible] हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके–2198 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चि[illegible]येक पैकेट को मोटे सफेद धागे से बांधा व चार–चार जगह से सील चपड़ी किया [illegible] विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने [illegible] की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को [illegible]झा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.14 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 605 दिनांक 25.04.2022 जिसके अनुसार नमूना जांच Sub-Standard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Sub-Standard Butter का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Butter विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 (2) की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस की गई कि अप्रार्थी द्वारा गांव के दूधियों से दूध लेकर उससे बटर का निर्माण किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर से कोई मिलावट नहीं की जाती है। दूध से निर्मित पदार्थों में समय के अनुसार मामूली अंतर आना स्वाभाविक है। उक्त नमूने में ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अप्रार्थी ने एफएसएसए की धारा 26 (2) (2) का उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थी एक लघु श्रेणी का कारोबारी है अतः अप्रार्थी को एफएसएसए की धारा 31(2) का लाभ प्रदान किया जावे। अप्रार्थी का छोटा–सा काम है जिससे वह अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। अतः नरम रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस में लैब रिपोर्टनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Butter की जांच में Sub-Standard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard Butter का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। बटर दैनिक उपयोग में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। जिसका सब–स्टैण्डर्ड पाया जाना लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Sub-Standard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/–(अखरे रूपये एक लाख मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(…मीना)

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.14 17:02:09 IST
Reason: SelfAttested

…गढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़